न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी: हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 188/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00354

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

---प्रार्थी.

बनाम

रामप्यारी पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी सारनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –14/06/2022

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीया को ग्राम रघुनाथपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 790 की रकबा 0.01 हे0 भूमि वर्ष 2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । अप्रार्थी को नोटिस तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए । प्रकरण में पटवारी हल्का की वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 01.6.2022 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । राजकीय अभिभाषक को सुना गया ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए तथा वर्तमान पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

4. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वर्तमान पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी खसरा नम्बर 790 रकबा 0.49 हे0 भूमि रामप्यारी पत्नि मदनलाल गुर्जर के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी, तत्पश्चात नामान्तरकरण सं0 165 निर्णय दिनांक 3.8.2012 भूमि अवाप्ति से खसरा नम्बर 790 की 0.48 हे0 भूमि जल संसाधन विभाग खण्ड कोटा के नाम खाते दर्ज हो चुकी है तथा उक्त खसरा नम्बर की शेष 0.01 हे0 भूमि जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 में रामप्यारी पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी सारनखेडी के गैर खातेदारी में दर्ज है जो अकृषि योग्य होकर मौके पर गैर खातेदार का कब्जा नहीं है । चूंकि अप्रार्थी को वर्ष 2010 में खसरा नं0 790 में कुल 0.49 हे0 भूमि आवंटित हुई थी जिसमें से 0.48 हे0 भूमि जल संसाधन विभाग द्वारा अवाप्त की जा चुकी है जो जल ससाधन विभाग खण्ड कोटा के नाम दर्ज रेकार्ड है, शेष 0.01 हे0 भूमि जो काबिल काश्त नहीं होने से जिस पर अप्रार्थीया का कब्जा नहीं होने तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण 14(4) का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5. परिणामस्वरूप तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । आवंटित भूमि खसरा नम्बर 790 की रकबा 0.01 हे0 भूमि मौके पर काबिल काश्त नहीं होने एवं आवंटी अप्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं होने से अप्रार्थी के हक में आवंटन से गैर खातेदारी में दर्ज भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि आदेश की पालना एक माह में की जाकर भूमि सिवायचक दर्ज कर कब्जेराज ली जावें ।

6. निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा